



THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL- 462003
Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com
Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या/विपणन/T.D. IMP - 10 (P-II)/2023-24/3929

दिनांक : 05.03.2024

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ट्रेक्टर एवं पावर चलित कृषि यंत्रों की दरों का प्रसारण।

संदर्भ : मुख्यालय परिपत्र क्र० मुख्या/विपणन/T.D. IMP - 10 (P-II)/2023-24/3668 दि. : 14.02.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से ट्रेक्टर एवं पावर चलित कृषि यंत्रों हेतु प्रसारित दरों को निरस्त करते हुए वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित निर्माता कम्पनी द्वारा निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करते हुए अपनी दरें तथा अधिकृत डीलरों की सूची प्रस्तुत की गयी हैं, जो पत्र के साथ संलग्न है :-

01	मेसर्स जीएसए इण्डस्ट्रीज, दौलतपुर, रसूलपुर-जौरा रोड़, पटियाला - 147001 (पंजाब) E-mail : info@agrizone.co.in फोन - 0175 5041200 मोबा. 9875926514	निर्माता द्वारा अधिकृत डीलर के माध्यम से प्रदाय। (सूची संलग्न)
नोट : कम्पनी द्वारा सभी यंत्रों पर दो वर्ष की वारण्टी एवं 24 X 7 आधार फोन कॉल पर एवं खेतों में पहुंचकर सेवाएँ प्रदान की जावेगी।		

उक्त के अलावा अन्य निर्माता कम्पनियों से अनुबंध निष्पादित होने पर तदनुसार सूचित किया जावेगा।

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी), अन्य व्यय, परिवहन/निरीक्षण शुल्क सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन पर पहुंचाकर हैं। उपरोक्त सभी यंत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत तथा टेस्टेड हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा ट्रेक्टर के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत कराया जावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- दरों का निर्धारण** : निगम द्वारा दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, अपितु निर्माता द्वारा प्रस्तुत दरों को ही निगम द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। निर्माता जो निगम के माध्यम से अपने यंत्रों को उपभोक्ताओं को विकय करना चाहते हैं, उनसे निर्धारित शर्तों पर अनुबंध निष्पादित किया गया है।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के जिला प्रबंधक संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। यदि विभाग द्वारा सीधे मुख्यालय को मांग प्रेषित की जाती है तो प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।



11.3.24

- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

5. **सामग्री की प्रदायगी** – सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (2) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इन्स्पेक्शन निगम द्वारा अनुमोदित थर्डपार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी से काराया जाना अनिवार्य है। तदोपरांत निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी किये जावेंगे।
- (3) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में मय पावती, संतुष्टि एवं थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेगिंग फोटोग्राफ भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किये जावेंगे।
- (4) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

6. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** – प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवे से छठवे सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवे से आठवे सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए। 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जाने वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

7. **सामग्री की गुणवत्ता** – एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निर्माता द्वारा प्रस्तुत स्पेसिफिकेशन एवं दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध में उल्लेखित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सूचना मुख्यालय को जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दी जावेगी।



8. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, बर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट, जियोटेमिंग फोटोग्राफ आदि के साथ निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक/मुख्यालय द्वारा किया जावेगा।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की शक्ति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **सामग्री की वारण्टी** : प्रदायक द्वारा सभी यंत्रों पर वारण्टी समयावधि में रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य निम्नानुसार किया जावेगा। रिपेयर मेन्टेनेंस का कार्य कम्पनी द्वारा शिकायत प्राप्त होने की दिनांक से 25 दिवस के अन्दर किया जावेगा :-
 (अ) मेसर्स जीएसए इण्डस्ट्रीज, पटियाला द्वारा सभी यंत्रों पर दो वर्ष की वारण्टी एवं 24 X 7 आधार फोन कॉल पर एवं खेतों में पहुँचकर सेवाएँ प्रदान की जावेगी।
11. **दरों की वैधता** : उपरोक्त दरें अनुबंध अनुसार 31 दिसम्बर 2024 तक वैध हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार
(दरें एवं डीलर की सूची)

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अरेश हिल्स, भोपाल।
7. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. मेसर्स जीएसए इण्डस्ट्रीज, दौलतपुर, रसूलपुर-जौरा रोड़, पटियाला - 147001 (पंजाब)



3930
12-3-24
प्रबंधक (विपणन) 11/3/2024

प्रबंधक (विपणन)

Dated:- 26.02.2024
Ref No. GSAI / 2024/ January / 131

AGRIZONE
implements

To,
The Managing Director
MP State Agro Industries Corporation Limited

- NAME OF SUPPLIER
- ADDRESS
- CONTACT NUMBER
- EMAIL ID
- BRAND

GSA INDUSTRIES
VILLAGE DAULATPUR, RASULPUR JAURA ROAD, PATIALA, PB-147001
9875926514/528 (AMANDEEP SINGH)
EPT@AGRIZONE.CO.IN
AGRIZONE

Please find our best prices for Agriculture Implements as below mentioned.

Sr. No.	Product Details	HP Required	Model	Basic	GST	Total	MP Agro Margin Amount	GST on Margin	Total Selling Price from MP Agro
1	Rotavator 5 Feet 36 Blade	40	AGRIZONE 05	1,00,260	12,031	1,12,291	5,013	602	1,17,906
2	Rotavator 6 Feet 42 Blade	42	GRIZO PRO 175 MS	1,04,510	12,541	1,17,051	5,226	627	1,22,904
3	Rotavator 7 Feet 48 Blade	48	GRIZO PRO 200 MS	1,08,760	13,051	1,21,811	5,438	653	1,27,902
4	Hydraulic reversible mb plough 2 Bottom	50	AGRIZONE RP 2 BOTTOM	1,10,442	13,253	1,23,695	5,522	663	1,29,880
5	Hydraulic reversible mb plough 3 Bottom	60	AGRIZONE RP 3 BOTTOM	1,40,442	16,853	1,57,295	7,022	843	1,65,160
6	Zero Drill Seed Drill 11 Tines	40	AGRIZONE ZD 11 TINE	95,000	11,400	1,06,400	4,750	570	1,11,720
7	Zero Drill Seed Drill 13 Tine	45	AGRIZONE ZD 13 TINE	99,999	12,000	1,11,999	5,000	600	1,17,599
8	Laser Land leveller with System- 7 Feet	50	AGRIZONE SPORTS	2,36,160	28,339	2,64,499	11,808	1,417	2,77,724
9	Super Seeder- 7 Feet	50	GSA SS 754	2,45,401	29,448	2,74,849	12,270	1,472	2,88,592
10	Super Seeder- 8 Feet	55	GSA SS 860	2,55,670	30,680	2,86,350	12,784	1,534	3,00,668
11	Straw Reaper- 57"	50	GSA SR 757	3,18,303	38,196	3,56,499	15,915	1,910	3,74,324

Key Features of Agrizone Products.

- Two-Year Warranty of Product
 - Service is being provided in the field.
 - 24 x 7 service available on phone.
- Looking forward to receiving your valuable order.

Amandeep Singh

Senior Manager
GSA industries, Patiala
PH. 9875926514



Vill. Daulatpur, Rasulpur Jaura Road, Patiala. 147001 (Punjab) India.
Ph: 0175-5041200 @ info@agrizone.co.in

www.agrizone.co.in

93AAPPFG0689N12V
AAPFG0689N

Toll Free No. 1800-137-0084



GSA INDUSTRIES

Vill. Daulatpur, Rasulpur Jaura Road, Patiala (Ph) India-147001



Ref No. GSAI/2024/JANUARY/132

Dated 27.01.2024

To

Managing Director

MP State Agro Industries Corporation Limited

Subject :- Dealer List MP State

Respected Sir,

We are enclosing herewith our Dealer List of MP State

SR.NO	FIRM NAME	DISTT.	CONTACT PERSON	CONTACT DETAILS	STATE
1	GSA INDUSTRIES, HEAD OFFICE PATIALA	PATIALA PB	AMANDEEP SINGH (STATE HEAD)	9875976514	MP
2	AMAN AGRO SALES,	HOSANGABAD	AMANDEEP SINGH	9915137642	MP
3	ANSHIKA HARDWARE	JABALPUR	ABHISHEK	8103239683	M P
4	ANANT KRISHI SEWA KENDRA	HOSANGABAD	BRAJESH KUMAR	9866742526	M P
5	SANDHU KRASHI YANTRA	SHEOPUR	KASHMIR SINGH	9755195556	M P
6	VINDHYA AGRO	SATNA	SHIVAM SINGH	8319095810	M P
7	EATHARV AGRO	VIDISHA	RAGHUVEER SINGH MEENA	9893380913	M P
8	DANGI AGRO AGENCY	BHOPAL	VIRENDRA DANGI	9340155487	M P
9	RAHUL TRADING CO.	SHIVPURI	RAHUL KUMAR	99075 64428	M P

Thanks & Regards

Amandeep Singh
For M/s GSA INDUSTRIES

Authorised Signatory
GSA Industries, Patiala
PH. 9875926514



11.3.24



(An IATF-16949:2016, ISO-14001:2015, ISO-18001:2007 Certified Company)
Ph. : 0175-5041200 Web : www.gsainds.com, e-mail : info@gsainds.com
Web : www.agrizone.co.in, e-mail : info@agrizone.co.in